## उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश कमांक 230/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक WO 517522

–परिवादी

विषय :- परिवादी के कनेक्शन पर पी.टी.मिसिंग की बिलिंग सरचार्ज सहित समाप्त करने विषयक।

भारती इंफाटेल लि., (इंडस टॉवर लिमिटेड), ए थ्री मेंट्रो टॉवर, चतुर्थ मंजिल, ए.बी.रोड, विजय नगर चौराहा, इंदौर (म.प्र.) विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं / सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि.तराना ——— उत्तरदाता <u>आदेश</u>

(आज दिनांक 20.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री महेश वर्मा कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :--

परिवादी का थ्री फेज 19.0 किलो वॉट क्षमता का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क. MKN12-96-3774005791 है, का नियमित बिल भुगतान किया जाता है। परिवादी को विपक्षी कार्यालय—कार्यपालन यंत्री एसटीएम.संभाग उज्जैन का पत्र क. 4899 दि.24.11.2021 के अनुसार आर फेस करंट विदाउट वोल्टेज अनुसार कथित पीटी.मिसिंग अविध दि. 20.04.2021 से 16. 11.2021 तक की युनिट 3479 की राशि रु. 27704/— का बिल दिया गया है, जबकि परिवादी के परिसर में कोई पोटेंशियल पीटी. मिसिंग नहीं हुई है।

परिवादी को एमआरआई की प्रति विपक्ष के द्वारा केवल दिखाई गई है,के आघार पर विपक्ष से निवेदन किया गया है तथा वें स्वयं भी इसे स्वीकारते है कि पीटी मिसिंग नहीं हुई है। यदि पीटी मिसिंग होती है तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मीटर ने सही खपत दर्ज न करके, देाषपूर्ण खपत दर्ज की है, इस स्थिति में म.प्र.सप्लाय कोड 2013 (संशोधित म.प्र. सप्लाय कोड 2021 की कंडिका 8.44) के अनुसार मीटर की दोषपूर्ण खपत को संशोधित करने संबंधी निर्देश जारी किये गयें हैं। अतः निवेदन है पीटी मिसिंग के बिल सरचार्ज सहित समाप्त कर, उक्त सप्लाय कोड अनुसार, संशोधित बिल जारी करने की कृपा करें।

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी—सहायक यंत्री माकडोन—1 को प्रेषित आवेदन पत्र दि. 14 फरवरी 2022, कार्यपालन यंत्री एसटीएम.संभाग उज्जैन का पत्र क. 4899 दि.24.11.2021, मासिक विद्युत बिल माह दिसंबर 2021, माह जनवरी 2022 एवं बिलिंग आर फेस दि. 20. 04.2021 से 16.11.2021 तक की छाया प्रतियां संलग्न की है।

2.विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर आपत्ति लेते हुए परिवादी ने दि. 23.08.2022 को फोरम के समक्ष यह निवेदन किया है कि उनके कनेक्शन परिसर में कोई पीटी मिसिंग नहीं हुई है और विपक्ष को उनके प्रकरण में काई रुचि नहीं है तथा यदि मीटर में माह अप्रेल 2021 से माह नवंबर 2021 तक पीटी मिसिंग हुआ है तो, मीटर द्वारा दर्ज दोषपूर्ण खपत को म.प्र.सप्लाय कोड 2013 (संशोधित म.प्र.सप्लाय कोड 2021 की कंडिका 8.44) के अनुसार, संशोधित बिल जारी करने की कृपा करें। एवं अधिभार समाप्त किया जावे।

## विपक्ष का कथन :-

परिवादी भारती इंफाटेल, (इंडस टॉवर लिमिटेड),ए थ्री मेंट्रो टॉवर, चतुर्थ मंजिल,ए.बी.रोड, विजय नगर चौराहा, इंदौर (म.प्र.) क थ्री फेज 19.0 किलो वॉट क्षमता का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क. MKN12-96-3774005791 है, को कार्यपालन यंत्री एसटीएम.संभाग उज्जैन का पत्र क. 4899 दि.24.11.2021 के निर्देशानुसार, मीटर की एमआरआई. रिपोर्ट के अनुसार, आर फेस मिसिंग की बिलिंग की गई है।दि.01.01.2021 से दि.17.01.2021 तक की कई बार आर फेज का वोल्टेज 100 वोल्ट से कम होता है, तो मीटर उस करण्ट की गणना नहीं कर पाता है। जिस कारण मीटर में खपत दर्ज नहीं हो सकी। और कार्यपालन यंत्री एसटीएम.संभाग उज्जैन

द्वारा उनके पत्र क. 4899 दि. 24.11.2021 से 3479 युनिट की अतिरिक्त बिलिंग की गई हैं। मीटर की एमआरआई टेम्पर रिपोर्ट, एसटीएम की मौका निरीक्षण रिपोर्टा एवं बिलिंग युनिट गणना पत्रक की छाया प्रतियां संलग्न है।

## फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

परिवादी को MRI फेज मिसिंग का 3479 यूनिट की अतिरिक्त राशि रू. 27704/— को निरस्त करने की मांग की है। विपक्ष ने कथन में बताया है कि मीटर क्रमांक 9023098 की AMR से मीटर में R फेज करंट विदाउट वोल्टेज दिनांक 24.04.2021 से 16.11.2021 तक रहा। जिसकी छुटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग उपभोक्ता को की गई।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि मीटर क्रमांक 9023098 की AMR अनुसार R फेज विदाउट वोल्टेज दिनांक 24.04.2021 ये 16.11.2021 तक पाये जाने पर एस.टी.एम. टीम द्वारा दिनांक 16.11.2021 को सुधार किया गया। विपक्ष ने मीटर में छुटटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग को VI COS Ф×DAYS ×HOURS से 3479 यूनिट का निकाल कर राशि रू. 27704/— का अतिरिक्त देयक जारी किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मीटर ने त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज की है। जो कि विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार अतिरिक्त यूनिट की गणना कर बिलिंग नहीं की गई है तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम 2021 के अनुसार त्रुटिपूर्ण खपत की गणना हेतु इस तरह से फार्मूला के अनुसार बिलिंग करने का कोई प्रावधान नहीं हैं, अतः बिल राशि रु. 27704/— को निरस्त किया जाना चाहिये। एवं इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार माह जनवरी 2021, फरवरी—21 एवं मार्च—21 की औसत खपत के आधार पर दिनांक 24.04.2021 से 16.11.21 तक की त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटात हुये संशोधित देयक जारी किये जाना चाहिये एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का अधिभार भी हटाया चाहिये।

## फोरम का निर्णय :--

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :—

01 / परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गयें उल्लेखानुसार, मीटर क्रमांक 9023098 की AMR अनुसार R फेज विदाउट वोल्टेज दिनांक 24.04.2021 ये 16.11.2021 तक पाये जाने पर एस.टी.एम. टीम द्वारा दिनांक 16.11.2021 को सुधार किया गया। विपक्ष ने मीटर में छुटटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग को VI COS  $\Phi imes DAYS imes HOURS$  से 3479 यूनिट का निकाल कर राशि रू.

27704 /— का अतिरिक्त देयक जारी किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मीटर ने त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज की है। जो कि विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार अतिरिक्त यूनिट की गणना कर बिलिंग नहीं की गई है तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम 2021 के अनुसार त्रुटिपूर्ण खपत की गणना हेतु इस तरह से फार्मूला के अनुसार बिलिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः बिल राशि रु. 27704 /— को निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार माह जनवरी 2021, फरवरी—21 एवं मार्च—21 की औसत खपत के आधार पर दिनांक 24.04.2021 से 16.11.21 तक की त्रुटिपूर्ण दज खपत को हटात हुये संशोधित देयक जारी किये जावे एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का अधिमार भी हटाया जावे।

03 / म.प्र.विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम 2021) के अध्याय 3 की कंडिका 3.29 में दिये गयें प्रावधान के अनुसार, विपक्ष फोरम के उक्त आदेश का अनुपालन, आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करेंगे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर), (एन.एस.मंडलोई), (व्ही.के.गोयल) सदस्य सदस्य अध्यक्ष